TEN RUPEES FIVE RUPEES

CF N/SL (7)

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 R 1943-III/2006

§1§ जगदीश सिंह पुत्र बरजोर सिंह आयु [redacted] 52 वर्ष पेशा खेती निवासी- शाहपुर तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

§2§ राजबहादुरसिंह पुत्र बरजोरसिंह निवासी शाहपुर तह0 त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

§3§ बशराजसिंह पुत्र इन्द्रदमन सिंह आयु 75 वर्ष पेशा खेती नि. शाहपुर तह. त्योंथर जिला रीवा म.प्र.

-- आवेदक/[redacted] निगरानीकर्ता

श्री के0के0 द्विवेदी एडवो. 20-10-06 को पेश हुआ। द्वारा आज दि.......

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

मृत §1§ हीरासिंह तनय इन्द्रपालसिंह आयु 70 वर्ष पेशा खेती निवासी - शाहपुर तह0 त्योंथर जि0 रीवा

§2§ कालिमनसिंह तनय स्व0 श्री हंसराज सिंह आयु 40 वर्ष

§3§ सोम्मी पुत्री स्व0 श्री हंसराजसिंह

§4§ रामकुमारी पुत्री स्व0 श्री हंसराजसिंह

§5§ रनियां पुत्री स्व0 श्री हंसराजसिंह

§6§ मुंदरी उर्फ सोहगियां ,,

निवासी सभी ग्राम शाहपुर तह0 त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

§7§ कमलराजसिंह तनय इन्द्रदमनसिंह आयु 62 वर्ष

मृत §8§ हरप्रसाद सिंह तनय इन्द्रदमनसिंह आयु 70 वर्ष

§9§ जनार्दनसिंह तनय सरदारसिंह आयु 80 वर्ष

§10§ रामायणसिंह तनय रन्जोरसिंह आयु 70 वर्ष

20.10.06 K.K. Dwivedi

—2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1943–तीन/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदकगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 68/अ/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदक क्र0 1 हीरासिंह विवादित भूमि के सहखातेदार नहीं है। बटवारा सहाखातेदारों के मध्य मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत होता है, किन्तु तहसीलदार वृत त्योंथर एवं अपर आयुक्त रीवा ने विधि के विरूद्ध बटवारा का आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप थी, किन्तु अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण का अवलोकन एवं आवेदन पत्र पर चाही गई दादरसी तथा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया और आदेश पारित कर दिया है। वह किसी भी प्रकार से विधिसंगत न होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है। अंत आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाकर एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 24.07.2006 तथा तहसीलदार त्योंथर का आदेश	

दिनांक 08.10.91 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ प्रकरण में आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का आधार यह माना है कि अनावेदक क्र0 1 हीरासिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, अतः बटवारा करा पाने की पात्रता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी इसी बिन्दु पर विचार किया गया है। विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श डी–6 में स्पष्ट किया है कि मौजा शाहपुर की आराजी का विवाद बरजोर सिंह व इन्द्रदमन सिंह तथा अनावेदक क्र0 1 के पिता के मध्य था, जिसका निराकरण पूर्व में किया गया था। इसके अलावा आवेदक क्र0 2 राजबहोरन सिंह ने अपने साक्ष्य दिनांक 23.02.1991 में भी यह स्वीकार किया है कि " हीरासिंह ग्राम शाहपुर में जोतते–बोते है, इन भूमियों का पट्टा हमारे और हमारे भाईयों के नाम है, जब से मैं जानकार हुआ तब से हीरासिंह जोतते–बोते देख रहा हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं है।" इसके अलावा विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न हाईकोर्ट का निर्णय दिनांक 05.08.49 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें अनावेदक क्र0 1 हीरासिंह को 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया गया है। रणबहादुर सिंह के चार पुत्रों के पुत्र तेजबली सिंह व इन्द्रभान सिंह लावल्द फौत है, इसलिये 1/2 आराजी इन्द्रपाल सिंह व इन्द्रदमन सिंह की होती है जो आवेदक क्र0 3 एवं अनावेदक क्र0 1 व अनावेदक क्र0 7–8 पिता थे। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व अभिलेखों के आधार पर मान लिया है कि यह सहखातेदार नहीं है। जबकि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति

थी। यदि विवादित आराजी में अनावेदक 7 व 8 का हक व स्वत्व बनता है तो अनावेदक क्र0 1 का भी हक व स्वत्व बनता है । चूँकि अनावेदक क्र0 1 के पिता एवं आवेदक क्र0 3 एवं अनावेदक क्र0 7–8 के पिता आपस में सगे भाई है। जहां तक आवेदक क्र0 1 का यह तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय में इनके द्वारा कोई विरोध या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिये आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश विधिनुकूल है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 68/अ/96–97 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2006 स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य